दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 28-07-2025

आयोजन • 126 न्यायिक अधिकारियों का एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमिनार रायपुर में हुआ

न्यायिक कार्य में सिर्फ कानून का पालन नहीं, संवेदना भी जरूरी: सीजे

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

जहां कानून हमारा साधन है, वहीं न्याय हमारा उद्देश्य है। आज न्यायपालिका से समाज की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। जनता हमसे निष्पक्षता, गति और मानवीय संवेदना की अपेक्षा रखती है। न्यायिक कार्य महज कानून की व्याख्या नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की समझ का भी मामला है। यह बातें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमिनार में कहीं।

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा रायपुर सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में शनिवार को एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक और चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में रायपुर संभाग के चार जिलों रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद के 126 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, जस्टिस दीपक कुमार तिवारी और जस्टिस राकेश मोहन पांडेय भी मंच पर उपस्थित रहे। सेमिनार में विशेष रूप से गिरफ्तारी, रिमांड, जमानत, अभियुक्त की परीक्षण प्रक्रिया, हिंदू उत्तराधिकार कानून और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर रजिस्ट्रार जनरल, न्यायिक अकादमी के निदेशक और संबंधित जिलों के न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायिक अधिकारियों के एक दिवसीय संभागीय सेमिनार में सीजे सिन्हा व अन्य जज।

हर फाइल में मनुष्य की कहानी

सेमिनार को न्यायिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और सीखने, संवाद और आत्मनिरीक्षण के मंच के रूप में वर्णित करते हुए सीजे ने कहा कि हर फाइल के पीछे एक मानव जीवन की कहानी होती है । उसमें दर्द, संघर्ष और आशा छिपी होती है। हमें हर निर्णय में यह समझ रखनी होगी।

न्याय के लिए प्रावधानों की जानकारी जरूरी

सीजे सिन्हा ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को इन नए प्रावधानों से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए, विशेषकर जमानत से जुड़े मामलों में एकरूपता एवं विधिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। कई बार मामूली त्रुटियों, जैसे अपराध क्रमांक, आरोपित धाराएं या आरोपी का विवरण स्पष्ट न होने के कारण हाई कोर्ट में मामलों के निराकरण में देरी होती है, जिससे आरोपी की स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए प्रत्येक आदेश संवेदनशीलता और सटीकता से पारित किया जाना चाहिए।